न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस

अपील सं0 2018/00358 (219/2018) 223 आरटीएक्ट
पवनकुमार पुत्र श्री धौंकलराम उम्र 42 वर्ष जाति ब्राम्हण निवासी उमेवाला, तहसील पीलीबंगा –अपीलाण्ट

बनाम

1. जितेन्द्र कुमार उर्फ औम
2. जोगेन्द्रलाल

पुत्रगण दीवानचन्द जाति अरोडा निवासीगण सरदारपुरा जीवन तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर

3. प्रेमचन्द पुत्र श्री दीवानचन्द जाति अरोड़ा निवासी सरदारपुरा जीवल हाल आबाद सैक्टर नं. 6 हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ।
4. जयपाल पुत्र श्री दीवानचन्द जाति अरोड़ा निवासी सरदारपुरा जीवन, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर। रेस्पोडेण्ट/वादीगण
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ। –रेस्पोडेण्ट/प्रतिवादी सं0 1

विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 18.05.2018 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा प्र0 सं0 115/2018 जीतेन्द्र कुमार उर्फ औमप्रकाश बनाम सरकार

उपस्थितः–
श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री खुशप्रीत सिह अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 3
श्री शमशेर सिंह संधू अधिवक्ता रेस्पा0 सं0 4

निर्णय दिनांकः– 15.11.2019

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 4 ने सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष घोषणा का वाद पेश किया। वादपत्र में कथन कियाकि वादीगण के पिता दिवानचन्द पुत्र सोहनलाल को चक 1 टीकेडब्ल्यू हाल चक 6 यूएमडब्ल्यू के प. नं. 15/215 में 14.01 बीघा कमांड व 19 बिस्वा गैर मुमकिन कुल 15 बीघा भूमि पुख्ता आवंटन की गई थीं। वरवक्त उक्त भूमि में से 14.01 बीघा कमांड 19 बिस्वा भूमि गैर मुमकिन भूमि थी जो वादीगण के पिता दीवानचन्द को कीमतन आवंटित हुई थी। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना किसी अधिकार के इस 14.01 बीघा भूमि में से 5, 6, 15, 16, 25 में 15 बिस्वा यानी 0.188 है. भूमि को गैर मुमकिन अंकित कर राजस्व अभिलेख में पिता श्री दीवानचन्द के नाम 14.01 बीघा कमांड भूमि के स्थान पर 13.06 बीघा यानी 3. 368 है. भूमि अंकित कर दी गईं, जबकि भू प्रबन्ध विभाग को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था। राजस्व अभिलेख में वादीगण इस भूमि के अभिलिखित खातेदार हैं। वादीगण की इस खातेदारी भूमि के उत्तर दिशा में किला नं. 3, 4, 5 में रास्ता व खाला तथा पूर्व दिशा में किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 प्रत्येक में खाला व रास्ता अंकित है जो गलत है क्योंकि एक ही मुरब्बे में दोनों और रास्ते व खाले अंकित नहीं किये जा सकते हैं। भू प्रबन्ध विभाग ने ऐसा विधि विरूद्ध

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

प्रभावित पक्षकार नहीं है। कानूनन एक ही मुरब्बे में दो रास्ते व दो खाले अंकित नहीं किये जा सकते। इस प्रकरण में रेस्पोडेण्ट की 15 बीघा भूमि में उत्तर दिशा में किला नं. 3, 4, 5 प्रत्येक में रास्ता व खाला तथा पूर्व दिशा में किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 प्रत्येक में खाला अंकित है। **उपतहसीलदार ने अपने जवाब में बताया है कि प्रश्नगत रास्ता चल नहीं रहा है उक्त किलाजात में खाला है मौके पर खाला चालू है। जहां खाला दर्ज हो अथवा खाला चल रहा हो वहां राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन) शर्तें 1955 नियम 8 (1) के अनुसार ही कार्यवाही वांछित है। राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन) शर्तें 1955 नियम 8 (1) के अनुसार "जलसारणी के संनिर्माण या विद्यमान जल सारणी को परिवर्तित करने का अधिकार खण्ड सिंचाई अधिकारी से परामर्श के पश्चात् जब कभी भी कलक्टर द्वारा यह वाछनीय समझा जावे, अधिकारों को स्वयं में आरक्षित तथा अपवादित करती है।" अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं उप तहसीलदार के जवाब के अनुसार प्रश्नगत किलाजात में मौके पर खाला है।** इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन निर्णय में **"गैर मुमकिन रास्ता भूमि को निरस्त किया जाता है"** के बाद **"अराजी दर्ज किया जावे।"** अंकित है। यह आदेश अपने आप में ही स्पष्ट नहीं है। इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि **"अराजीराज"** दर्ज किया जावे या **"अराजी खातेदार"** दर्ज किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय का यह आदेश अपने आप में ही विरोधा भाषी है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पोषणीय नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.05.2018 निरस्त किये जाने योग्य है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ लौटाया जाना उचित है कि पूर्व में राजस्व रिकार्ड में दर्ज चक 6 यूएमडब्ल्यू के प. नं. 15/216 (44) कि. नं. 5, 6, 15, 16, 25 प्रत्येक में 0.025 है. कुल .125 है. गैरमुमकिन रास्ता को निरस्त करते हुए विधि अनुसार गैरमुमकिन खाला दर्ज करने के संबंध में सिंचाई अधिकारियों से परामर्श अनुसार आगामी कार्यवाही करे।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विलेषण के आधार अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.05.2018 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ लौटाया जाता है कि पूर्व में राजस्व रिकार्ड में दर्ज चक 6 यूएमडब्ल्यू के प. नं. 15/216 (44) कि. नं. 5, 6, 15, 16, 25 प्रत्येक में 0.025 है. कुल .125 है. गैरमुमकिन रास्ता को निरस्त करते हुए विधि अनुसार गैरमुमकिन खाला दर्ज करने के संबंध में सिंचाई अधिकारियों से परामर्श अनुसार आगामी कार्यवाही करे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। निर्णय आज दिनांक 15.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(आशाराम डूडी आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

किया है। राजस्व अभिलेख में किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 प्रत्येक में 0.025 है. रास्ता अंकित है जबकि यहां खाला चल रहा है। इन किला नं. में कभी भी रास्ता चालू नहीं रहा है और न ही इस रास्ता की किसी को आवश्यकता है। वादी ने वादपत्र में प्रश्नगत रास्ते की भूमि का ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित करने का अनुतोष अधिनस्थ न्यायालय में मांगा। प्रतिवादी ने जवाब प्रस्तुत किया कि उक्त किला में कभी रास्ता चालू नहीं रहा है न ही रास्ता की आवश्यकता है मौके पर यहां खाला चालू है। विचारण न्यायालय ने दावा एवं जवाब दावा के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील बतौर तृतीय पक्ष प्रस्तुत की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। उभयपक्ष ने लिखित बहस भी प्रस्तुत की।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि चक 6 यू.एम. डब्ल्यू में प. नं. 15/215 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 में पूर्वी सिरे पर 2–2 बिस्वा रास्ता उत्तर से दक्षिण स्वीकृत एवं चालू है जिसमें अपीलाण्ट व मुरब्बा के अन्य काश्तकार अपनी भूमि में आवागमन करते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने कतई गलत व विधि विरूद्ध रूप से रास्ता को निरस्त करने का आक्षेपित आदेश पारित किया है जबकि ऐसा करने का अधीनस्थ न्यायालय को अधिकार नहीं है। प्रश्नगत रास्ते के अलावा अपीलाण्ट के खेत में आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं है। पूर्व में रेस्पोडेण्ट ने रास्ता बंद करवा दिया था जिसे पटवारी हल्का द्वारा खुलवाया गया है। दिनांक 21.06.2018 को पुनः प्रश्नगत रास्ता को अवरोधित करने के आशय से प्रश्नगत रास्ता पर अस्थाई आड़ निर्मित कर दी जिसे अपीलाण्ट का आवागमन बाधित हो गया जिस पर दिनांक 22.06.2018 को पुलिस सहायता से पटवारी हल्का व गिरदावर ने रास्ता को चालू करवाया। स्वीकृत गैर मुमकिन रास्ता अपीलाण्ट की भूमि के लिए था अपीलाण्ट एवं अन्य खातेदारों की भूमि के लिए आवागमन हेतु यही एक मात्र रास्ता है व मौका पर रास्ता चालू है तथा राजस्व अभिलेख में रास्ता दर्ज है। अपीलाण्ट एक प्रभावित काश्तकार है अपरलाण्ट को सुने बिना रास्ता को निरस्त किया गया है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 (6) के अन्तर्गत सार्वजनिक उपयोग के गैर मुमकिन रास्ता के संबंध में खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किये जा सकते। अतः धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जावे साथ ही अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2006 (2) पेज 1011, आरआरटी 2013 (1) पेज 299, आरआरटी (1) पेज 299, डीएनजे 2015 (रेवेन्यू) पेज 221, आरआरडी 2018 पेज 597, डीएनजे 2016 (रेवे) पेज 39 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 3 ने अपनी बहस में कथन कियाकि अपीलाण्ट पवन कुमार ने अपील के साथ धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है जबकि अपीलाण्ट द्वारा वर्णित तथा कथित रास्ता अपीलाण्ट की कृषि भूमि को नहीं लगता है तथा ना ही अपीलाण्ट को तथाकथित रास्ते की कोई आवश्यकता है ना ही अपीलाण्ट विचारणीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश से व्यथित पक्षकार है। अपीलाण्ट ने रेस्पोडेण्टान को तंग व परेशान करने की गर्ज से बिना किसी अधिकार के यह अपील पेश की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपीलाण्ट द्वारा कथित रास्ता चक 6 यूएमडब्ल्यू के खाता संख्या 70/74 खाता मन्दिर श्री ठाकुर जी महाराज जी कृषि भूमि के साथ चिपता है तथा उक्त खाता की कृषि भूमि प. नं. 16/216 मुरब्बा नं. 53 किला नं. 1 ता 10 तथा प. नं. 15/216 मु. नं. 52 किला नं. 4 ता 7, 15/1/.240, कुल 3.782 है. आराजी का एक ही टुकड़ा है जिसमें प. नं. 16/216 मु. नं. 53 के किला नं. 5 व 6 पर सड़क लगती है। इसलिए उक्त रास्ते की किसी भी खातेदार काश्तकार को कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलाण्ट का तथाकथित रास्ते से कोई सरोकार नहीं है। रेस्पोडेण्ट की 15 बीघा भूमि में किला नं. 3, 4, 5 प्रत्येक में रास्ता व खाला तथा पूर्व दिशा में किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 प्रत्येक में खाला अंकित है जबकि कानूनन एक ही मुरब्बे में दो रास्ते व दो खाले अंकित नहीं किये जा सकते हैं। अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. रेस्पोडेण्ट संख्या 4 ने क्रोस आब्जेशन अन्तर्गत आदेश 41 नियम 22 सीपीसी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने के कारण रेस्पोडेण्ट संख्या 4 को क्रॉस आब्जेक्शन पेश करने का कॉज ऑफ एक्शन प्राप्त हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय ने रास्ते को निरस्त कर आराजी दर्ज करने के आदेश दिये थे। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में लिपिकिय त्रुटि के कारण आरजी दर्ज हो गया जबकि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 4/वादीगण के नाम घोषणा करने का अनुतोष चाहा गया था उसी अनुसार दर्ज होनी चाहिए थी। कानूनन भी आवंटन के समय आवंटनशुदा कुल 15 बीघा रकबा की कीमत अदा की गई है तथा 15 बीघा आराजी रेस्पोडेण्ट की निजी खातेदारी भूमि है तथा निजी खातेदारी भूमि में रास्ते का इन्द्राज निरस्त होने के बाद कानूनन भूमि की घोषणा रेस्पोडेण्टान के नाम होनी चाहिए थी। अतः क्रोस आब्जेक्शन स्वीकार कर अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अधिनस्थ न्यायालय में वाद घोषणा का था जिसमें रेस्पोडेण्ट को आवंटित भूमि चक 6 यू.एम.डब्ल्यू. के प. नं. 15/215 (44) किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 में दर्ज गैर मुमकिन रास्ता की प्रविष्टि निरस्त करते हुए उक्त भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित करने का अनुतोष मांगा था। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी स्टेट ने रास्ता नहीं चलना बताया जिसके आधार पर रास्ता निरस्त करते हुए प्रश्नगत रास्ते को निरस्त किया और आराजी दर्ज करने के आदेश दिये। अपीलाण्ट का कथन है कि प्रश्नगत रास्ते से वह आवागमन करता है जिसके कारण वह एक प्रभावित पक्षकार है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उप तहसीलदार गोलूवाला का जवाब प्रस्तुत हुआ है जिसमें राजस्व अभिलेख में रास्ता अंकित है जबकि मौका पर यहां खाला चल रहा है इन किला में कभी भी रास्ता चालू नही रहा है ना ही इस रास्ता की किसी को आवश्यकता ही होना जवाब में बताया गया है, जबकि अपीलाण्ट की भूमि खाता संख्या 46/53 के प. नं. 14/216 (51) किला नं. 6 से 8, 9/1, 11, 12 व पत्थर नम्बर 15/216 (52) किला नं. 2, 3, 8 से 14, 15/2, 18 से 23 कुल 5.200 है. कृषि है। अपीलाण्ट की यह भूमि प्रश्नगत रास्ते की भूमि से काफी दूर है और अपीलाण्ट की भूमि से यह रास्ता नहीं लगता है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट को एक

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2019.12.04 12:44:19 IST
Reason: SelfAttested
Location: